UPBB050008092022

न्यायालय सिविल जज(सी0 डि0), कोर्ट नं0 20, बाराबंकी

एम०सी०सी० नं०- /2022

ईश्वरदीन बनाम राज्य उ.प्र. द्वारा कलेक्टर आदि

09.11.2022

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता निर्मल सिंह यादव की ओर से धारा 80(2) जा.दी. के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किए जाने की अनुमति के संबंध में दाखिल किया गया। मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थना पत्र ख-3 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं डी०जी०सी० (सिविल) को सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ख-3 मय शपथ पत्र ग-4 अन्तर्गत धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को विपक्षीजन के विरूद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा का धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की नोटिस दिये बगैर व दो माह का इंतजार किये बगैर दावा हाजा धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बेदखली हेतु दिया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रतीत होता है। ऐसे में तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थना पत्र स्वीकार होने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ख-3 स्वीकार किया जाता है। धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध बिना दो माह पूर्व की नोटिस दिये वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस आदेश की एक प्रति मूलवाद की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक 09.11.2022

(विनय प्रकाश सिंह)
सिविल जज (सी0 डि0),
कोर्ट संख्या-20, बाराबंकी।
JO Code-UP1769